

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या :275/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/387)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. कुलदीप कौर पत्नी जसवन्त सिंह पुत्री मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला हाल आबाद चक 23 ए.एस.ए. तहसील घडसाना।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 12.08.2025

उपस्थित: 1.श्री सतनाम सिंह बराड अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 31.10.2025

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2074 के खाता संख्या 80/71 के मुख्या नम्बर 42 की कुल 6.197 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम 0.275 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी का नाम परमजीत कौर पुत्री मुखत्यार सिंह दर्ज है। जबकि वादी का वास्तविक नाम कुलदीप कौर पुत्री मुखत्यार सिंह है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2074 के खाता संख्या 80/71 में अंकित नाम परमजीत कौर पुत्री मुखत्यार सिंह के स्थान पर कुलदीप कौर पत्नी जसवन्त सिंह पुत्री मुखत्यार सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 2486 दिनांक 07.10.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि परमजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर पुत्री मुखत्यार सिंह दोनों एक ही महिला के नाम है। परमजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर को कुलदीप कौर के नाम से जाना पहचाना जाता है। साक्ष्यवादी में जगतार सिंह, बलकरण सिंह, हरजिन्द्र सिंह, परमजीत कौर, बलविन्द्र कौर, गुरमेल सिंह, नसीब कौर का शपथ पत्र पेश किया।
- बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2074 के खाता संख्या 80/71 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचानपत्र की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2074 के खाता संख्या 80/71 में क्रम संख्या 11 पर अंकित नाम परमजीत कौर पुत्री मुखत्यार सिंह के स्थान पर कुलदीप कौर पत्नी जसवन्त सिंह पुत्री मुखत्यार सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया



श्री. सि.

कुलदीप कौर बनाम राजस्थान सरकार
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
प्रकरण संख्या 275/2025

है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचानपत्र की छायाप्रति में नाम कुलदीप कौर पत्नी जसवंत सिंह पुत्री मुखत्यार सिंह दर्ज है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि परमजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर पुत्री मुखत्यार सिंह दोनों एक ही महिला के नाम है। परमजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर को कुलदीप कौर के नाम से जाना पहचाना जाता है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ. नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2074 के खाता संख्या 80/71 में क्रम संख्या 11 पर अंकित नाम परमजीत कौर पुत्री मुखत्यार सिंह के स्थान पर परमजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर पुत्री मुखत्यार सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखपिण्डार जमा हो।



निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



श्रीयोराम (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

श्रीयोराम (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

[ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी]
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. कुलदीप कौर पत्नी जसवन्त सिंह पुत्री मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रडेवाला हाल आबाद चक 23 ए.एस.ए. तहसील घडसाना।	मुखत्यार	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 275/2025

निर्णय दिनांक :- 31.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2074 के खाता संख्या 80/71 में क्रम संख्या 11 पर अंकित नाम परमजीत कौर पुत्री मुखत्यार सिंह के स्थान पर परमजीत कौर उर्फ कुलदीप कौर पुत्री मुखत्यार सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 31.10.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



[श्योराम (आर.ए.एस.)]
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददर्ई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00



क्रमांक: रिडर/2025/810

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



[श्योराम (आर.ए.एस.)]
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
दिनांक: 31.10.2025

[श्योराम (आर.ए.एस.)]
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)